विविध (एन.एच.3(जी)5) प्रकरण संख्या 33/2023 हनुमान पुत्र श्री रामनारायण जाति बिश्नाई निवासी 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. **प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक** शाखा 15 जैड, श्रीगंगानगर 2. सक्षम प्राधिकारी **(भूमि अवाप्ति) श्रीगंगानगर** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर व जिला श्रीगंगानगर 3. **भारतीय राष्ट्रीय** राजमार्ग प्राधिकरण पी आई यू. हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी **हनुमान पुत्र** रामनारायण ने जरिये अधिवक्ता श्री विनोद भाटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 की धारा 3(जी)5 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा काश्तकार श्री रामनारायण पुत्र मिश्रीराम कौम बिश्नोई निवासी 5 बी छोटी के मुरब्बा नं. 9 के किला नम्बर 21 में 0.1864 हैक्टर भूमि अवाप्त की गई उक्त भूमि आवेदक हनुमान को जरिये दस्तावेज उपहार पत्र रामानारायण के द्वारा दी गई, जिसका वर्तमान मालिक व काबिज हनुमान है के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश 31.07.2021 जो कि भारत माला परियोजना पैकेज 6 (पार्ट–1) श्रीगंगानगर (एन.एच.62) साधुवाली जैड माईनर श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर–रायसिंहनगर के दो–चार लेन मय पैवड सोल्डर कार्य के अन्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 की धारा 3(जी) के अन्तर्गत जिला श्रीगंगानगर के उपखण्ड व तहसील श्रीगंगानगर के ग्राम 1 डी छोटी, 1 वाई, 10 वाई, 11 जैड, 3 वाई, 3 बी छोटी, 4 बी छोटी 5 वाई, 5 बी छोटी, 7 वाई, 8 वाई, 9 जैड अवाप्तिधीन निजी सरकारी कृषि भूमि के अर्जन/अवाप्ति हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3(जी) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही पूर्ण कर उक्त अर्जन योग्य/ अवाप्तिधीन [illegible] का मुआवजा राशि निर्धारण करने हेतु **जारी किया है जिसके** विरुद्ध 3 जी(5) [illegible] आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी **हनुमान की कृषि भूमि चक 5 बी छोटी के मु.नं. 9 के किला नम्बर 21** 0.1864 **हैक्टर जो अवाप्त की एनओसी अनावेदक संख्या 01 – पंजाब नेशनल बैंक से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मंगवायी जाने एवं अनावेदक संख्या 02– उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से मुआवजा राशि दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 की धारा 3जी(5) निम्न प्रकार से है :

> **(5) If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section(2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the central government."**

सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी,श्रीगंगानगर द्वारा जो अवार्ड दिनांक 31.07.2021 को जारी किया गया है जिसमें एक पक्षकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है और दूसरे पक्षकार हितधारी व्यक्ति है जिनमें से कोई भी पक्षकार उक्त अवार्ड से असन्तुष्ट होने पर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 की धारा 3जी(5) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है और **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता बतौर आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर के रूप सुनवाई करने के लिए सक्षम है।**

चूंकि प्रार्थी हनुमान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आवार्ड से असंतुष्ट नहीं है, बल्कि उसने यह प्रार्थना पत्र **एनओसी दिलवाने एवं मुआवजा राशि दिलवाने** के लिए पेश किया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 की धारा 3(जी)5 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए प्रार्थी हनुमान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 की धारा 3(जी)5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.10 17:57:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। **पत्रावली** बाद तकमील [illegible] दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 19.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

(अंशदीप)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर